क्रम-संख्या—143

149 पृष्ठ

रजिस्ट्रेशन नं० एल. डब्लू./एन.पी.-890
लाइसेन्स नं० डब्लू० पी०—41
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 2 मई, 1997

वैशाख 12, 1919 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 471/सत्रह-वि0-1-1 (क) 1-1997

लखनऊ, 2 मई, 1997

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1997 पर दिनांक 1 मई, 1997 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1997 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 1997

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, सन् 1997)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के अड़तालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 1997 कहा जायगा। संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह 16 अप्रैल, 1997 से प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

2—उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 29 में,— उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 1966 की धारा 29 का संशोधन

(क) उपधारा (3) में वर्तमान प्रतिबन्धात्मक खण्डों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :—

"प्रतिबन्ध यह है कि इस अधिनियम में किसी बात के होते हुये भी, इस धारा के अधीन नियुक्त प्रशासक या प्रशासक कमेटी, जैसी वह उत्तर प्रदेश

सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1994 के प्रारम्भ के पूर्व विद्यमान थी, प्रबन्ध कमेटी की शक्ति का प्रयोग और कर्तव्यों का निर्वहन, इस अधिनियम के अधीन प्रबन्ध कमेटी का पुनर्गठन होने या 31 दिसम्बर, 1997 तक, इनमें जो भी पहले हो, करती रहेगी ।";

(ख) उपधारा (4) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारायें बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात् :--

"(5) (क) जहां किसी कारण से चाहे वह जो भी हो, प्रबन्ध कमेटी के निर्वाचित सदस्यों का निर्वाचन निर्वाचित सदस्यों के कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व नहीं हुआ है या नहीं हो सका है, वहां प्रबन्ध कमेटी, इस अधिनियम या नियमों या समिति की उपविधियों में किसी प्रतिकूल बात के होते हुये भी, ऐसे कार्यकाल के समाप्त होने पर विद्यमान नहीं रह जायेगी ।

(ख) निबन्धक ऐसे कार्यकाल की समाप्ति पर या समाप्ति के पश्चात, यथाशीघ्र, अधिनियम, नियमों और समिति की उपविधियों के उपबन्धों के अनुसार प्रबन्ध कमेटी का पुनर्गठन होने तक, समिति के कार्यकलापों का प्रबन्ध करने के लिये प्रशासक या प्रशासक कमेटी (जिसे आगे इस धारा में "कमेटी" कहा गया है) नियुक्त करेगा, और निबन्धक को समय-समय पर, यथास्थिति, प्रशासक या कमेटी के किसी सदस्य को बदलने या प्रशासक के स्थान पर कोई कमेटी या कमेटी के स्थान पर प्रशासक नियुक्त करने की शक्ति होगी ।

(ग) जहां खण्ड (ख) के अधीन कोई कमेटी नियुक्त की जाय, वहां उसमें एक सभापति और आठ से अनधिक ऐसे अन्य सदस्य होंगे जिन्हें निबन्धक द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जायेगा और जिनमें कम से कम दो सदस्य सरकारी सेवक होंगे ।

(घ) कमेटी की बैठक बुलाने और उसका आयोजन करने की प्रक्रिया, ऐसी बैठकों का आयोजन करने का समय और स्थान, ऐसी बैठकों में कार्य संचालन और उसकी गणपूर्ति के लिये आवश्यक सदस्यों की संख्या ऐसी होगी जैसी नियत की जाय ।

(ङ) जब तक खण्ड (ख) के अधीन, यथास्थिति, किसी प्रशासक या कमेटी की नियुक्ति न की जाय, तब तक, यथास्थिति, समिति का सचिव या प्रबन्ध निदेशक प्रबन्ध कमेटी के केवल चालू कर्तव्यों का प्रभारी होगा ।

स्पष्टीकरण--जहां बहिर्गामी प्रबन्ध कमेटी के निर्वाचित सदस्यों के कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व किसी कारण से, चाहे जो भी हो, प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों के निर्वाचन के परिणाम घोषित न किये गये हों, या घोषित न किये जा सके हों, वहां यह समझा जायेगा कि प्रबन्ध कमेटी के निर्वाचित सदस्यों का निर्वाचन इस उपधारा के अर्थान्तर्गत नहीं हुआ है ।

(6) उपधारा (5) के अधीन नियुक्त प्रशासक या कमेटी को, ऐसे किसी निदेश के अधीन रहते हुये, जिसे निबन्धक समय-समय पर दे, प्रबन्ध कमेटी के या समिति के किसी अधिकारी के समस्त या किन्हीं कृत्यों का सम्पादन करने की शक्ति होगी और इस अधिनियम, नियमों और समिति की उपविधियों के अधीन समस्त प्रयोजनों के लिये उसे प्रबन्ध कमेटी समझा जायेगा और ऐसी कमेटी का सभापति प्रबन्ध कमेटी के सभापति की शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का सम्पादन करेगा ।

(7) उपधारा (5) के अधीन नियुक्त, यथास्थिति, प्रशासक या कमेटी, यथाशीघ्र, किन्तु नियुक्ति के दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति के पूर्व यथास्थिति, प्रशासक या कमेटी से समिति का प्रबन्ध लेने के लिये इस अधिनियम, नियमों और समिति की उपविधियों के अनुसार प्रबन्ध कमेटी का पुनर्गठन करने की व्यवस्था करेगी :

प्रतिबन्ध यह है कि जहां किसी प्रशासक के स्थान पर कमेटी या कमेटी के स्थान पर प्रशासक रखा जाय, जैसा कि उपधारा (5) के खण्ड (ख) में उपबन्धित है, वहां एक वर्ष की अवधि की गणना, यथास्थिति, प्रशासक या कमेटी की मूल नियुक्ति के दिनांक से की जायेगी ।

स्पष्टीकरण :--उपधारा (5) के अधीन प्रशासक या कमेटी की नियुक्ति के पूर्व निर्वाचन की प्रक्रिया के प्रारम्भ हो जाने पर भी ऐसी नियुक्ति के पश्चात् निर्वाचन की नई प्रक्रिया प्रारम्भ की जायेगी ।"

3--मूल अधिनियम की धारा 35 में,— धारा 35 का संशोधन

(क) उपधारा (1) में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :—

"प्रतिबन्ध यह है कि यदि नियत परिस्थितियों में समिति के सामान्य निकाय की सामान्य बैठक बुलाना सम्भव नहीं है, तो निबन्धक के लिए समिति के सामान्य निकाय की राय लेना आवश्यक नहीं होगा।";

(ख) उपधारा (2) में, द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खण्ड निकाल दिया जायेगा;

(ग) उपधारा (3) में,—

(एक) शब्द "छः मास से अनधिक अवधि के लिये" के स्थान पर शब्द "एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिये" रख दिये जायेंगे;

(दो) वर्तमान प्रतिबन्धात्मक खण्ड के पूर्व निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :—

"प्रतिबन्ध यह है कि निबन्धक, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से समय-समय पर अवक्रान्त की अवधि को बढ़ा सकता है किन्तु एक बार में बढ़ाई गयी अवधि छः महीने से अधिक न होगी और बढ़ाई गयी कुल अवधि एक वर्ष से अधिक न होगी।"

4--मूल अधिनियम में दी गई किसी बात के होते हुए भी, मूल अधिनियम की धारा 29 के अधीन नियुक्त प्रशासक या प्रशासक कमेटी को, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पूर्व प्रबन्ध कमेटी की शक्तियों का प्रयोग, कृत्यों का सम्पादन और कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा हो, तब तक प्रशासक या प्रशासक कमेटी के रूप में विधिमान्यतः निरन्तर नियुक्त समझा जायेगा, जब तक कि उपर्युक्त धारा के अधीन कोई अन्य प्रशासक या प्रशासक कमेटी नियुक्त न कर दी जाय या प्रबन्ध कमेटी का पुनर्गठन न कर दिया जाय; और 31 दिसम्बर, 1995 को या उसके पश्चात् किसी ऐसे प्रशासक या प्रशासक कमेटी द्वारा कृत कोई कार्य या कार्यवाही विधिमान्य होगी, मानों इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे। विधिमान्यकरण

5--(1) उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अध्यादेश, 1997 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। निरसन और अपवाद

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी, मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,
रविन्द्र दयाल माथुर,
प्रमुख सचिव।

No. 471/(2)/XVII-V-1-1-(KA)-1-1997

Dated Lucknow, May 2, 1997

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Sahakari Samiti (Sanshodhan) Adhiniyam, 1997 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 1 of 1997) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on May 1, 1997.

THE UTTAR PRADESH CO-OPERATIVE SOCIETIES (AMENDMENT) ACT, 1997

(U. P. Act No. 1 of 1997)

[*As passed by the Uttar Pradesh Legislature*]

AN
ACT

further to amend the Uttar Pradesh Co-operative Societies Act, 1965.

IT IS HEREBY enacted in the Forty-eighth Year of Republic of India as follows :—

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Co-operative Societies (Amendment) Act, 1997. Short title and Commencement

(2) It shall be deemed to have come into force on April 16, 1997.

Amendment of section 29 of U.P. Act no. 11 of 1966

2. In section 29 of the Uttar Pradesh Co-operative Societies Act, 1965, hereinafter referred to as the principal Act,—

(*a*) in sub-section (3) *for* the existing provisos, the following proviso shall be *substituted*, namely :—

"Provided that notwithstanding anything in this Act, the Administrator or the Committee of Administrators appointed under this section, as it stood before the commencement of the Uttar Pradesh Co-operative Societies (Second Amendment) Act, 1994 shall continue to exercise the powers and perform the duties of the Committee of Management till the Committee of Management is reconstituted under this Act or till December 31, 1997 whichever is earlier.";

(*b*) *after* sub-section (4), the following sub-sections shall be *inserted*, namely :—

"(5) (*a*) Where, for any reason whatsoever, the election of the elected members of the Committee of Management has not taken place or could not take place before the expiry of the term of elected members, the Committee of Management shall, notwithstanding anything to the contrary in this Act or the rules, or the bye-laws of the society, cease to exist on the expiry of such term.

(*b*) On or as soon as may be after the expiry of such term, the Registrar shall appoint an Administrator or a Committee of Administrators (hereinafter, in this section, referred to as the Committee) for the management of the affairs of the society until the reconstitution of the Committee of Management in accordance with the provisions of the Act, the rules and the bye-laws of the society, and the Registrar shall have the power to change the Administrator or, as the case may be, any member of the Committee or to appoint a Committee in place of an Administrator or *vice versa* from time to time.

(*c*) Where a committee is appointed under clause (*b*) it shall consist of a Chairman and such other members not exceeding eight as may be nominated by the Registrar, out of which atleast two shall be Government Servants.

(*d*) The procedure for summoning and holding of meetings of the Committee, the time and place of holding such meetings, the conduct of business at such meetings and the number of members necessary to form quorum thereof shall be such as may be prescribed.

(*e*) So long as no administrator or, as the case may be, the Committee is appointed under clause (*b*), the Secretary or the Managing Director, as the case may be, of the society shall be incharge only of the current duties of the Committee of Management.

Explanation : Where results of the election of members of the Committee of Management have not been or could not be declared, for any reason, whatsoever, before the expiry of the term of the elected members of the outgoing Committee of Management, it shall be deemed that the election of the elected members of the Committee of Management has not taken place within the meaning of this sub-section.

(6) The Administrator or the Committee appointed under sub-section (5) shall, subject to any directions which the Registrar may from time to time give, have the power to perform all or any of the functions of the Committee of Management or of any officer of the society and shall be deemed for all purposes under this Act, the rules and the bye-laws of the society to be the Committee of Management and the Chairman of such Committee shall exercise the powers and perform the functions of the Chairman of the Committee of Management.

(7) The Administrator or the Committee, as the case may be, appointed under sub-section (5), shall as soon as may be, but not later than the expiry of one year from the date of appointment, arrange for the reconstitution of the Committee of Management in accordance with the provisions of this Act, the rules and the

1997

bye-laws of the society to take over the management of the society from the Administrator or the Committee, as the case may be ;

Provided that where an Administrator is replaced by a Committee or a Committee by an Administrator as provided in clause (*b*) of sub-section (5), the period of one year shall count from the date the Administrator or the Committee, as the case may be, was originally appointed.

Explanation : Notwithstanding that the process of election may have commenced before the appointment of Administrator or the Committee under sub-section (5) a fresh process of election shall commence after such appointment."

Amendment of section 35

3. In section 35 of the principal Act,—

(*a*) in sub-section (1) the following proviso shall be *inserted* namely :—

"Provided that where under the prescribed circumstances it is not feasible to convene a general meeting of the general body of the society, the Registrar may dispense with the requirement of obtaining the opinion of the general body of the society.";

(*b*) In sub-section (2) the second proviso shall be *omitted*;

(*c*) in sub-section (3),—

(*i*) *for* the words "for a period not exceeding six months" the words "for a period not exceeding one year" shall be *substituted*;

(*ii*) before the existing proviso the following proviso shall be *inserted*, namely :—

"Provided that the Registrar may, with the previous approval of the State Government, extend from time to time the period of supersession, so however, that any single extension does not exceed six months and the total extension does not exceed one year."

Validation

4. Notwithstanding anything contained in the principal Act, the Administrator or the Committee of Administrators appointed under section 29 of the principal Act and exercising the powers, performing the functions and discharging the duties of the Committee of Management immediately before the commencement of this Act shall be deemed to have validity continued to be appointed as Administrator or Committee of Administrators until another Administrator or Committee of Administrators is appointed or the Committee of Management is reconstituted under the aforesaid section and anything done or any action taken by such Administrator or the Committee of Administrators on or after December 31, 1995 shall be valid as if the provisions of the principal Act as amended by this Act were in force at all material times.

Repeal and savings

U.P. Ordinance no. 11 of 1997

5. (1) The Uttar Pradesh Co-operative Societies (Amendment) Ordinance, 1997 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act, as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1), shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By order,

R. D. MATHUR,

Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०--ए० पी० 23 सा० (विधा०--(243)--1997--850 (मैके०) ।